न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 03/2016

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1श्रीमती केसर देवी बेवा रूपाराम 2सोहनलाल 3गुलाबचंद 4राजू पुत्रान स्व. रूपाराम जातियान माली भाटी निवासीगण मौहल्ला कक्कुवालों की पोल के पास, तहसील व जिला नागौर। 5श्रीमती जंवराई पुत्री स्व. रूपाराम पत्नी गुलाबचंद सांखला जाति माली सांखला निवासी राठौडीकुआं, नागौर। 6श्रीमती चंदा पुत्री रूपाराम पत्नी बाबूलाल जाति माली गहलोत निवासी बडली मौहल्ला, नागौर।		1नरेश पुत्र चेनाराम जाति माली भाटी। 2सुनील पुत्र चेनाराम जाति माली भाटी (नाबालिग) जरिये वली माता श्रीमती लीलादेवी निवासीगण कक्कुवालों की पोल के पास, नागौर। 3चेनाराम पुत्र स्व. रूपाराम जाति माली सांखला निवासी कक्कुवालों का मौहल्ला, नागौर। 4श्रीमती सुमन पुत्री रूपाराम पत्नी मनोहर जाति माली भाटी निवासी बाडी कुऑ मौहल्ला, नागौर। 5चेतनराम पुत्र स्व. रूपाराम जाति माली भाटी निवासी मौहल्ला कक्कुवालों की पोल के पास, नागौर। 6राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री रामेश्वरलाल अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. श्री भगवान सिंह राठौड अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से।
4. श्री दीपक जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से।
5. श्री कुन्दन सिंह आचीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 05.09.18

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा मौजा नागौर के नामान्तरकरण सं. 1563 निर्णय दिनांक 12.01.2011 से असंतुष्ट होकर दिनांक 28.12.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 21.01.2016 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 की ओर से श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 की ओर से श्री भगवान सिंह राठौड अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से दीपक जोशी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी पत्र के पत्र/सम्मन के तलब किय गया। जो अनुपस्थित रहे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण संख्या 1563 दिनांक 12.01.2011 की फोटोप्रति तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर के प्रार्थना पत्र सं. 95/11 गुलाबचंद बनाम रूपाराम निर्णय दिनांक 28.02.2014 की फोटोप्रति, मौजा नागौर के खतौनी की फोटोप्रति, खसरा पत्रक की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर के प्रार्थना पत्र संख्या 110/11 रूपाराम बनाम गुलाबचंद के फर्द अहकाम दिनांक 15.07.2011 से दिनांक 04.10.2017 की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर के प्रकरण संख्या 99/11 गुलाबचंद बनाम रूपाराम के फर्द अहकाम दिनांक 17.06.2011 से दिनांक 12.07.2016 तक की फोटोप्रति, राजस्व वाद संख्या 99/2011 गुलाबचंद बनाम रूपाराम की फोटोप्रति तथा वाद बाबत घोषणा खातेदारी की फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने मियाद के बिंदु पर बहस शुरू करते हुए बताया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में भरे नामान्तरकरण संख्या 1563 दिनांक 12.01.2011 गलत तौर पर अपने नाम करवाया है और उक्त तथाकथित म्यूटेशन आरंभ से वोईड होने एवं अपीलार्थीगण के हितों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उक्त म्यूटेशन संख्या 1563 दिनांक 12.01.2011 को निरस्त करवाने हेतु

अपर कलक्टर, नागौर

अपील पेश की गई। जो अपील दावा करने के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की बदनियति की जानकारी होते ही नकल लेकर बाद जानकारी अंदर मियाद पेश की गई। जो मियाद में शुमार किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण की और संपूर्ण राजस्व रेकर्ड की नकले चाही तो नकल आवेदन किया और नकले मिलने पर तथाकथित म्यूटेशन की जानकारी की नकल आवेदन दिया जो तथाकथित म्यूटेशन की नकल दिनांक 03.11.2015 को प्राप्त की। तत्पश्चात विधिक और कानूनी सलाह मशाविरा करने पर विधिक राय दिनांक 28.12.2015 को लेकर यह अपील तैयार करवाकर बिना देरी के पेश की गई है। जो अंदर मियाद शुमार की जाना न्यायसंगत है।

प्रकरण में अपीलांट्स ने अपनी अपील के साथ मियाद हेतु प्रार्थना पत्र एवं उसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधारों पर प्रतीत होता है तथा मियाद के बिन्दु पर प्रतिपक्ष द्वारा विरोध भी नही किया गया है। अतः अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अपीलार्थीगण के पति एवं पिता रूपाराम माली अपने पुत्र चेनाराम के नाजायज दबाव व अपराधिक कृत्य के डर में होने के कारण उनकी मानसिक स्थिति सही नही थी। जिस कारण तथाकथित बक्शीसनामा दिनांक 20.04.2010 रूपाराम बहक नरेश एवं सुनील जरिये वली माता लीलादेवी एवं तथाकथित बक्शीशनामा दिनांक 25.10.2010 रूपाराम बहक चेनाराम शुरू से ही अपीलार्थीगण के हितो के विपरीत होने से निरस्तनीय है और बक्शीसनामा दिनांक तथाकथित बक्शीसनामा दिनांक 20.04.2010 रूपाराम बहक नरेश एवं सुनील जरिये वली माता लीलादेवी एवं तथाकथित बक्शीशनामा दिनांक 25.10.10 रूपाराम बहक चेनाराम के आधार पर किया गया म्यूटेशन भी निरस्तनीय है। इस कारण उपरोक्त बक्शीशनामा दिनांक तथाकथित बक्शीसनामा दिनांक 20.04.10 रूपाराम बहक नरेश एवं सुनील जरिये वली माता लीलादेवी एवं तथाकथित बक्शीसनामा दिनांक 25.10.10 रूपाराम बहक चेनाराम उपरोक्त सभी परिस्थितियों प्रारंभ से ही अवैध व शून्य है तथा अपीलार्थीगण के हक अधिकारों के विपरीत होने से भी अवैध व शून्य घोषित किये जाने योग्य है। इस कारण संपूर्ण तथाकथित बक्शीसनामा दिनांक 20.04.10 दिनांक 25.10.10 ही अवैध एवं शून्य है।

{2}(II)–स्व. रूपाराम ने अपने जीवनकाल में ही उक्त अवैध एवं शून्य तथाकथित बक्शीसनामा दिनांक 20.04.10 रूपाराम बहक नरेश एवं सुनील जरिये वली माता लीलादेवी एवं तथाकथित बक्शीसनामा दिनांक 25.10.10 रूपाराम बहक चेनाराम एवं वसीयतनामा दिनांक 31.03.14 की जानकारी होने पर अपने परिवारजन एवं रिश्तेदारों के सदस्यों के सामने दिनांक 27.07.15 को उक्त तथाकथित बक्शीसनामा दिनांक 20.04.10 रूपाराम बहक नरेश एवं सुनील जरिये वली माता लीलादेवी एवं तथाकथित बक्शीसनामा दिनांक 25.10.10 रूपाराम बहक चेनाराम एवं वसीयतनामा को मौखिक रूप से अवैध एवं शून्य घोषित करने का एलान भी कर दिया था तथा जिस स्थिति में अर्थात स्व. रूपाराम को डरा धमका कर उनकी इच्छा के विरूद्व उक्त तथाकथित बक्शीसनामा दिनांक 20.04.10 रूपाराम बहक नरेश एवं सुनील जरिये वली माता लीलादेवी एवं तथाकथित बक्शीसनामा दिनांक 25.10.10 रूपाराम बहक चेनाराम एवं वसीयतनामा को निष्पादित करवाकर पंजीयन करवाया गया। जिस तथ्य को स्व. रूपाराम ने सभी परिवारजन एवं रिश्तेदारों के सामने घोषणा के रूप में उस दिन कहा था। जिस समय प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 की पत्नी लीलादेवी भी उपस्थित थी तथा उक्त तथाकथित बक्शीसनामा दिनांक 20.04.10 रूपाराम बहक नरेश एवं सुनील जरिये वली माता लीलादेवी एवं तथाकथित बक्शीसनामा दिनांक 25.10.10 रूपाराम बहक चेनाराम एवं वसीयतनामा दिनांक 31.03.14 को उपरोक्त कारणोवश अवैध एवं शून्य माना जाने में उन्होने अपनी रजामंदी दी थी। जिस तथ्य को प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को अब मुकर्रने का कोई अधिकार नही है। बल्कि वे अपने द्वारा दिये गये अभिवचनों से पूर्ण रूप से पाबंद है। इस कारण भी उक्त तथाकथित बक्शीसनामा दिनांक 20.04.10 रूपाराम बहक नरेश एवं सुनील जरिये वली माता लीलादेवी एवं तथाकथित बक्शीसनामा दिनांक 25.10.10 रूपाराम बहक चेनाराम प्रारंभतः ही अवैध एवं शून्य है।

{2}(III)–अपीलार्थीगण के पति एवं पिता रूपाराम की फोत दिनांक 29.07.15 के तत्पश्चात अपीलार्थीगण विधिक वारिसान होने के कारण भी तथाकथित बक्शीसनामा दिनांक 20.04.10 रूपाराम बहक नरेश एवं सुनील जरिये वली माता लीलादेवी एवं तथाकथित बक्शीसनामा दिनांक 25.10.10 रूपाराम बहक चेनाराम के आधार पर भरा गया म्यूटेशन संख्या 1563 दिनांक 12.01.11 के निरस्त करवा कर अपना नाम प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के स्थान पर सभी वारिसान का विधिनुसार दर्ज करवाने के हक अधिकारी है।

अपर कलक्टर, नागौर

{3}–रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया गया कि –

{3}(I)–खेत खसरा नंबर 57 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नंबर 22 रकबा 29 बीघा 3 बिस्वा मौजा नागौर स्व. रूपाराम की खातेदारी कब्जे काश्त के स्वअर्जित खेताय है। किसी भी प्रकार से पेतृक खेताय नही है। स्व. रूपाराम का देहान्त 29.07.15 को हुआ है। जिनके विधिक वारिस उनकी पत्नी, पुत्र व पुत्रियां होने के तथ्य से विरोध नही है। परंतु उक्त खेताय रूपाराम की स्वअर्जित सम्पति व खातेदारी हक अधिकार एवं कब्जे काश्त के खेताय है तथा रहते आये है। ऐसी स्थिति में स्व. रूपाराम के जीवन काल में उनके विधिक वारिसान पत्नी, पुत्र व पुत्रियो का किसी भी प्रकार का हक हिस्सा न तो बनता है व न ही निहित करता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का उक्त खेताय में किसी भी प्रकार का हक हिस्सा निहित नही करता है।

{3}(II)–विवादित भूमि कृषि भूमि है तथा कृषि भूमि के संबंध में मिताक्षरा विधि एंव हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के उक्त बताये गये प्रावधान लागू नही होते है। क्योंकि कृषि भूमि की वास्तविक मालिक राजस्थान सरकार होती है तथा खातेदार के खातेदारी अधिकार निहित होते है। जिसके संबंध में उतराधिकार बाबत उक्त प्रावधान कृषि भूमि के संबंध में लागू नही होते है तथा विधि अनुसार खातेदार के देहान्त होने पर उसके उतराधिकारियों में खातेदारी अधिकार निहित होता है। अन्य कोई उतराधिकारी अधिकार खातेदार के जीवन काल में उसके वारिसान को प्राप्त नही होते है। इसलिये प्रथमतः तो उक्त भूमि पेतृक सम्पति नही है। ऐसी स्थिति में स्व. रूपाराम के जीवन काल में उनके विधिक वारिसान का किसी भी प्रकार का हक हिस्सा निहित करता है। दोयम यदि पेतृक खेताय साबित भी होते है तो केवल मात्र खातेदारी अधिकार निहित होने के आधार पर रूपाराम के वारिसान का किसी भी प्रकार का खातेदारी अधिकार निहित नही करता है व न ही बनता है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के संबंध में अपीलार्थीगण को किसी भी प्रकार का अधिकार नही है।

{3}(III)–स्व. रूपाराम ने अपने जीवनकाल में खसरा नंबर 57 में से रकबा 4 बीघा भूमि का दिनांक 20.04.10 को अपने पोत्र नरेश व सुनील को बख्शीश करते हुए एक पंजीकृत बख्शीशनामा निष्पादित कर उप पंजीयक कार्यालय नागौर में विधिवत रूप से बख्शीशनामा पंजीबद्व करवाया है। साथ ही खसरा नंबर 57 में से रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा का बख्शीशनामा अपने पुत्र प्रत्यर्थी चेनाराम के नाम दिनांक 25.10.10 को विधिवत रूप से बख्शीशनामा निष्पादित कर उप पंजीयक कार्यालय नागौर में पंजीबद्व करवाये है। जिसके आधार पर भी रूपाराम के जीवनकाल में दिनांक 12.01.11 को नामान्तरकरण संख्या 1563 स्वीकृत किया गया है तथा नामान्तरकरण स्वीकृति के करीब साढे चार साल बाद स्व. रूपाराम का देहान्त हुआ है तथा स्व. रूपाराम ने अपने जीवन काल में उक्त दोनो बख्शीशनामो को किसी भी न्यायालय में चुनोती नही दी व न ही कभी भी बख्शीसनामा उन्हे डरा धमकाकर या उनकी वृद्वावस्था एवं बीमारी का फायदा उठाकर करवाने का किसी भी प्रकार का कोई आरोप नही लगाया व न ही चेनाराम द्वारा नाजायज दबाबा डलवाकर लिखवाने का कभी कोई आरोप लगाया है। यदि वास्तव में ऐसा किया जाता तो स्वयं रूपाराम द्वारा जो कि प्रथम बख्शीसनामा के निष्पादन एवं पंजीयन के पश्चात करीब सवा पांच साल तक व द्वितीय बख्शीशनामा के निष्पादन एवं पंजीयन के करीब पोने पांच साल की अवधि तक पूर्णतया स्वस्थ हालत में जीवित रहे, द्वारा अवश्य उक्त आधारों पर बख्शीशनामा को निरस्त करवाने के संबंध में दीवानी वाद पेश जाता व फौजदारी कार्यवाही की जाती। जो कि नही किये गये है। इससे स्पष्ट है कि उक्त दोनो बख्शीसनामें स्व. रूपाराम ने पूर्णतया होश हवास व स्वस्थ हालत में स्वेच्छा ने पोत्रो व पुत्र के नाम से विधिवत तरीके से स्वयं द्वारा निष्पादित कर विधिवत तरीके से उप पंजीयक कार्यालय नागौर में उपस्थित होकर पूर्णतया विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए वैध रूप से निष्पादित व पंजीबद्व बख्शीसनामा है जो किसी भी प्रकार से अपीलार्थीगण के विधिक अधिकारों के विपरीत नही है व न ही किसी भी प्रकार से शून्य, अवैध या प्रभाव शून्य है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को उक्त बख्शीसनामा के संबंध में किसी भी प्रकार का कथन करने का कोई अधिकार नही है। साथ ही बख्शीशनामे बिना सिविल न्यायालय की डिक्री के किसी भी प्रकार से न तो अवैध घोषित किये जा सकते है व न ही निरस्त घोषित किये जा सकते है व न किसी के द्वारा इस संबंध में घोषणा की जा सकती है। यदि स्व. रूपाराम को उक्त बख्शीशनामा के संबंध में किसी प्रकार का एतराज होता तो उनके द्वारा अपने जीवन काल में अवश्य

अपर कलक्टर, नागौर

बख्शीशनामा को सक्षम दीवानी न्यायालय में चुनोती दी जाती परंतु नही दी गई है। ऐसी स्थिति में मौखिक घोषणा का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है।

{3}(IV)–बख्शीशनामा की अवैधता अथवा वैधता का निर्धारण करने का राजस्व न्यायालय या तहसीलदार को किसी भी प्रकार का अधिकार नही है। बख्शीशनामा को केवल मात्र सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है तथा वैधता व अवैधता का निर्धारण सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो बख्शीशनामा के संबंध में कथन किये गये है। वह कथन अपील में किसी भी प्रकार से प्रासंगिक नही है। ऐसी स्थिति में एक वैध व विधिवत तरीके से पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण को चुनौती देने का अधिकार अपीलार्थीगण को नही है व न ही नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवाने के अपीलार्थीगण अधिकारी है। ऐसी स्थिति में अपील बिना अधिकार के गलत रूप से पेश की गई होने से निरस्तनीय है।

{3}(V)–विवादित भूमि स्व. रूपाराम की स्वअर्जित सम्पति है। इसलिये उन्हे बख्शीश करने का पूर्ण अधिकार है। भूमि किसी भी प्रकार से पैतृक भूमि नही है। यदि किसी भी प्रकार से अपीलार्थीगण उक्त भूमि को पैतृक भूमि होना साबित भी कर दे (जिसे प्रत्यर्थीगण स्वीकार नही करते है व न ही पैतृक होना साबित है) तो भी चूंकि मिताक्षरा विधि व इस संबंध में दिये गये हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। जिस कारण से अपीलार्थीगण का किसी भी प्रकार का हक हिस्सा नही बनता है। यदि बहस के लिये अपीलार्थीगण का उक्त भूमि में हिस्सा मान भी लिया जावे तो भी अपीलार्थीगण के कथनानुसार (जिन्हे प्रत्यर्थीगण स्वीकार नही करते है) भूमि पैतृक होने से उसके वारिसान विधिक उतराधिकारीगण स्वयं रूपाराम व उनके पांच पुत्रगण ही होते है। जिसके अनुसार रूपाराम का 1/6 वां हिस्सा निहित करता है जो उपरोक्त भूमि में 6 बीघा भूमि अधिक बनता है। जबकि बख्शीश 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि की गई है जो अपीलार्थीगण के कथनानुसार हिस्से अधिक नही बनती है। क्योकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में पुत्रियों के हिस्से के संबंध में जो संशोधन किया गया है। उससे पूर्व रूपाराम का देहान्त हो गया। ऐसी स्थिति में यदि भूमि को पैतृक भूमि मान लिया जाता है तो भी उनकी पुत्रियों का किसी भी प्रकार का हिस्सा नही बनता है। ऐसी स्थिति में बख्शीशनामा किसी भी प्रकार से हिस्से से अधिक भूमि का व बिना अधिकार के नही हुआ है। ऐसी स्थिति में जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। वह पूर्ण जांच कर तत्पश्चात स्वीकृत किया है। इसलिये अपील गलत तथ्यों पर बिना अधिकार के पेश की होने से निरस्तनीय है।

{3}(VI)–अपीलार्थीगण ने कभी भी स्व. रूपाराम की सेवा चाकरी व देखभाल नही की है तथा अपीलार्थी सोहनलाल, गुलाबचंद व राजू ने रूपाराम के साथ हर समय दुर्व्यवहार व लडाई झगडा किया था। बिना वजह तंग व परेशान किया इसलिये स्व. रूपाराम ने अपने जीवन काल उक्त खेताय के संबंध में अपीलार्थीगण के विरूद्व एक राजस्व वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। जिसमें अपीलार्थीगण को स्व. रूपाराम के कब्जे काश्त में दखल नही करने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद भी किया गया। जो राजस्व प्रार्थना संख्या 110/2011 विचाराधीन रहा है। साथ ही स्व. रूपाराम ने सोहनराम व उसकी पत्नी कंचन के विरूद्व घर में घुसकर मारपीट करने के संबंध में पुलिस थाना कोतवाली नागौर में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी। साथ ही अपीलार्थीगण ने स्व. रूपाराम के विरूद्व एक राजस्व भी पेश किया। जो सहायक कलक्टर नागौर में विचाराधीन है। जिसमें अपीलार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन भी खारिज किया गया। उक्त प्रकरण में रूपाराम द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें उन्होने उक्त भूमि का अपनी स्वअर्जित भूमि होना बताकर बख्शीश करने के तथ्य सन 2011 में अंकित किये है। जिसके आधार पर न्यायालय सहायक कलक्टर नागौर द्वारा भूमि स्व. रूपाराम की स्वअर्जित होना मानते हुए व उनके स्वामित्व की होना मानते हुए अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। उक्त सभी तथ्यों से यह पूर्णतया प्रमाणित है कि भूमि स्व. रूपाराम की स्वअर्जित सम्पति रही तथा उन्होने विधिवत तरीके से साधिकार बख्शीशनामा निष्पादित कर पंजीबद्व करवाया है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण का एक वैध रूप से निष्पादित व पंजीबद्व बख्शीशनामा के आधार पर बाद जांच स्वीकृत किया गया है। जो कि एक वैध नामान्तरकरण है। जिससे चुनौती देने का अपीलार्थीगण को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में अपील बिना अधिकार के गलत रूप से पेश की गई होने से निरस्तनीय है।

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

{4}–अपीलांट्स ने रेस्पोडेन्ट्स की लिखित बहस का जवाब देते हुए बताया कि–

{4}(I)–वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त पैतृक खेताय मौजा नागौर में खसरा नंबर 57 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नंबर 22 रकबा 29 बीघा 3 बिस्वा कुल 37 बीघा 1 बिस्वा भूमि रही है। इस कारण प्रत्यर्थीगण का यह तथ्य गलत है कि उपरोक्त खेताय स्व. रूपाराम के स्व अर्जित सम्पति का भाग हो तथा पैतृक खेताय नही हो। जहां तक स्व रूपाराम का देहान्त 29.07.15 का होना सही है। परंतु स्व. रूपाराम के फौतगी प्रमाण पत्र संख्या 100212 दिनांक 14.08.15 नगर परिषद् नागौर के आधार पर उन के पैतृक खेताय नागौर के खसरा नंबर 22 के 29 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नंबर 57 के 2 बीघा 2 बिस्वा कुल 32 बीघा 5 बिस्वा फौतगी म्यूटेशन संख्या 2088 दिनांक 24.08.15 को प्रत्यर्थी संख्या 5 तहसीलदार नागौर स्वयं द्वारा बाद जांच भरा था। जिस कारण अपीलार्थीगण के नाम उक्त खेताय की जमाबंदी जारी की गई। इस कारण प्रत्यर्थीगगण का यह कथन माने जाने योग्य नही है कि उपरोक्त खेताय में अपीलार्थीगण का कोई हक हिस्सा या अधिकार नही हो। स्वयं अपीलार्थीगण को स्व. रूपाराम के विधिक उत्तराधिकारी होना प्रत्यर्थीगण स्वीकार करते है। उस के आधार पर भी वादग्रस्त खेताय में अपीलार्थीगण का हिस्सा होना स्वतः प्रमाणित है।

{4}(II)–प्रत्यर्थीगण का यह तथ्य माने जाने योग्य नही है कि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि होने से हिन्दू उत्तराधिकार व मिताक्षरा विधि लागू नही होती है। एक तरफ वादग्रस्त भूमि को प्रत्यर्थीगण राज्य सरकार के मालिकाना हक की मानते है। दूसरी तरफ स्व. रूपाराम द्वारा वादग्रस्त भूमि का किया गया बक्सीसनामा दिनांक 20.10.10 व अन्य बक्सीसनामा दिनांक 25.10.10 को सही होना बतलाते है। जो एक दूसरे के विरोधाभासी है। जब कि वैधानिक रूप से अपने खातेदारी अधिकारों की बक्सीस प्रत्यर्थीगणानुसार की ही नही जानी चाहिये। वादग्रस्त खेताय पूर्ण रूप से अपीलार्थीगण की पैतृक सम्पति का भाग है।

{4}(III)–जहां तक बक्सीसनामा 20.10.10 व पंजीबद्व बक्सीसनामा 25.10.10 रूपाराम बहक चेनाराम प्रश्न है, वह प्रत्यर्थीगण ने स्व. रूपाराम को डरा धमका कर उन की वृद्वावस्था व बीमारी का लाभ उठाकर करवाया है। जो प्रारंभ से ही अवैध व शून्य है। जिस को स्व. रूपाराम ने ही अपने जीवन काल में तारीख 27.07.15 को उक्त वसीयतनामा तथा उपरोक्त बक्सीसनामों बाबत अवैध व शून्य होने की ऐलानिया घोषणा कर दी थी। जिस समय प्रत्यर्थीगण व अपीलार्थीगण का परिवार मौका पर मौजूद था। इस कारण बक्सीसनामों व वसीयतनामा का अस्तित्व प्रारंभ से ही अवैधानिक था व रहा है। जिसको वैध व प्रभावी तरीके से निष्पादित व पंजीयन होना कहा जाना पूर्णतः गलत है। उपरोक्त बक्सीसनामों के आधार पर किया गया म्यूटेशन आदेश 12.01.11 पूर्ण रूप से गलत होने से निरस्तनीय है। उपरोक्त बक्सीसनामा बाबत दीवानी वाद विचाराधीन है। जिस बारे में गलत रूप से प्रत्यर्थी द्वारा बक्सीसनामा को चुनौती नही दी जाने का उल्लेख किया गया है। जो जान बूझ कर वास्तविक तथ्यों को प्रमाणित करते है। यह गलत है कि बक्सीसनामा अपीलार्थीगण के अधिकारों के विपरीत नही हो। जहां तक बक्सीसनामों बाबत सिविल न्यायालय से समुचित आदेश होने का प्रश्न है। वैसी सूरत में भी अपीलार्थीगण की उपरोक्त अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण की ओर से अपील के पैरा में बक्सीसनामों को स्व रूपाराम द्वारा चुनौती देने बाबत स्पष्ट तथ्य अंकित किये है। इस कारण अपीलार्थीगण की अपील किसी भी रूप में निरस्त किये जाने योग्य न होकर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जावे।

{4}(IV)–जहां तक अपीलार्थीगण द्वारा बक्सीसनामों को सिविल न्यायायल में चुनौती देना, जिस हेतु वाद पत्र पेश करना सही है। जो वर्तमान में विचाराधीन है। जिस की पूर्ण जानकारी प्रत्यर्थीगण को है। इस कारण सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा होना शेष है। यह गलत है कि अपीलार्थीगण का नाम फौतगी नामान्तरकरण में विधिक भूल से भर दिया गया हो। यह गलत है कि ऐसे विधिक भूल को रिव्यू आदेश से निरस्त किया गया हो। उपरोक्त आधार जो प्रत्यर्थीगण द्वारा लिये गये है। पूर्णतः गलत है। इस कारण प्रत्यर्थीगण का यह तथ्य गलत है कि बक्सीसनामे सही रूप से निष्पादित व पंजीबद्व किये गये हो। इस कारण भी अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार फरमाई जावे।

{4}(V)–अपीलार्थीगण की अपील पूर्णतः वैधानिक तथ्यों पर आधारित है। जिसको निरस्त किया जाना उचित व न्यायसंगत नही है। साथ ही प्रत्यर्थीगण द्वारा वादग्रस्त खेत में 1/6 हिस्सा निहित होना उल्लेख किया है। जिस का क्या आधार है, स्पष्टीकरण प्रत्यर्थीगण द्वारा नही बतलाया गया है। इस कारण भी

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

बक्सीससुदा सम्पति 5 बीघा 16 बिस्वा होने से यह नही माना जा सकता कि वह वैधानिक तौर से निष्पादित बक्सीसनामा हो। यह गलत है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का संशोधन होने से पूर्व स्व. रूपाराम का देहान्त हो जाने से पुत्रियों का कोई हिस्सा नही बनता हो। बल्कि ऐसे अवैधानिक बक्सीसनामा की जानकारी अपीलार्थीगण को संशोधन अधिनियम के बाद हुई है व पूर्व में भी ऐसे बक्सीसनामे रूपाराम द्वारा स्वेच्छा से निष्पादित व पंजीयन नही करवाये गये थे। इस कारण ऐसे संशोधन से अपीलार्थीगण के अधिकारों का हनन होना नही माना जा सकता। जिस कारण भी अपीलार्थीगण की अपील प्रत्यर्थीगण के विरूद्व स्वीकार किये जाने योग्य है।

{4}(VI)–प्रत्यर्थीगण द्वारा राजस्व वाद जो पेश किया जाना बतलाया गया है। वह मात्र बदयान्ति पूर्ण तरीके से पेश किया गया है। जो बाद विचारण स्वतः खारिज होगा तथा अपीलार्थीगण के विरूद्व जो मारपीट करने के आरोप लगाये गये है। वह मात्र कपोल कल्पित कहानी को बताते हुए मात्र अपीलार्थीगण पर पुलिस से मिलावट से झूठी रिपोर्ट दर्ज करवायी है। जिस का कोई संबंध इस अपील से नही है। न ऐसे झूठे फरजी वाद या रिपोर्ट से वादग्रस्त खेताय की भूमि स्व रूपाराम की स्व अर्जित भूमि बन गई हो, कहा जाना उचित व न्यायसंगत ही है। जहां तक वसीयतनामा का प्रश्न है, सिविल न्यायालय से स्वयं प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त वसीयतनामा को वैधानिक होना प्रमाणित नही करवाया है। जिस के आधार पर भी प्रत्यर्थीगण की वादग्रस्त खेताय के बाबत फौतगी म्यूटेशन सही रूप से भरा गया हो प्रमाणित नही होता है। जहां तक बक्सीस के तथ्यों बाबत सन 2011 में जिस प्रकार के तथ्यों का उल्लेख प्रत्यर्थीगण करना बताते है। वह पूर्ण रूप से बनावटी है। जिसके आधार पर किसी भी प्रकार का आदेश प्रत्यर्थीगण के हक में आज दिन तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित नही किया गया है। यह गलत है कि प्रत्यर्थीगण के नाम हुए नामान्तरकरण को चुनोती देने का अधिकार की जा कर नामान्तरकरण संख्या 1563/12.01.11 तहसीलदार नागौर द्वारा दिये गये आदेश को अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे। अपीलार्थीगण की अपील में उल्लेखित तथ्यों को स्वीकार किया जावे। प्रत्यर्थीगण से उपरोक्त अपील का खर्चा व हर्जा अपीलार्थीगण को दिलवाया जावे व प्रत्यर्थीगण की लिखित बहस को अस्वीकार कर अपील में उल्लेखित तथ्योनुसार अपीलार्थी की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

{5}– राजकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि नामान्तरकरण सं. 1563 रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के आधार पर भरा गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाना चाहिये।

{6}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में नामान्तरकरण सं. 1563 वाके नागौर के खसरा नं. 57 रकबा 7.18 बीघा के खातेदार रूपा पुत्र फकीरा द्वारा बक्सीसनामा दिनांक 25.10.2010 के आधार पर भरा जाकर दिनांक 12.01.11 को स्वीकृत किया गया है। इस संबंध में अपीलांट्स स्व. रूपाराम की पत्नी, पुत्र व पुत्रियों द्वारा अपील में कथन किया गया है कि उक्त भूमि उनकी पैतृक सम्पति है। जिसमें उनका हिस्सा निहित होते हुए भी उन्हे सुने बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांट्स स्व. रूपाराम के वारिसान होने के तथ्य को लेकर कोई विरोध भी नही है। भूमि पैतृक है या नही, इसकी जांच का उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नही है। इससे स्पष्ट नही होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य का विवेचन किया गया हो। पैतृक सम्पत्ति में सभी वारिसान के जन्म से ही अधिकार सृजित होते है। पत्रावली अवलोकन से यह भी स्पष्ट नही होता है कि नामान्तरकरण जैर अपील करने से पूर्व अपीलांट्स को पूर्व सूचना देते हुए शहादत, सबूत, जवाबदेही व सुनवाई का अवसर दिया गया हो। ऐसा प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{7}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील नामान्तरकरण सं. 1563 वाके नागौर पर पारित आदेश दिनांक 12.01.2011 खारिज किया जाता है। मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दोनो पक्षों को नोटिस देकर उपरोक्त विवेचनानुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई कर विधिवत निर्णय पारित करे।

{8}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर